

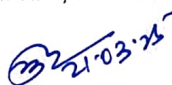
आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक सं०- से

जिला - गिरिडीह, अंचल - धनवार, विविध वाद सं०- 49/सन-2024- 25

केस का प्रकार - विविध वाद

आदेश का क्र० सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
21.03.2025	---:आदेश: --- यह विविध वाद अभिलेख सं०- 49/2024- 25 आवेदक शंकर प्रसाद लहकर, पिता- भगवान राम लहेरी, साकिन- धनवार, थाना- धनवार, जिला- गिरिडीह के द्वारा दिए गए आवेदन के आलोक में अंचल निरीक्षक, धनवार के माध्यम से राजस्व उपनिरीक्षक हल्का सं०- 07, श्री रामलखन मिस्त्री के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन के आधार पर संधारित किया गया है। जाँच प्रतिवेदन अनुसार अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- धनवार, थाना नं०- 214 के भौतिक पंजी- ॥ के भाग सं०- 1, पृष्ठ सं०- 387 पर तेतरी देवी पति- भगवान राम लहेरी, साकिन धनवार के नाम से जमाबंदी दर्ज है। परन्तु ऑनलाइन पंजी- ॥ में उक्त जमाबंदी दर्ज नहीं है। प्रतिवेदन में भौतिक पंजी- ॥ के अनुसार ऑनलाइन पंजी- ॥ में उक्त जमाबंदी कायम करने की अनुशंसा की गई है। जाँच प्रतिवेदन तथा अनुशंसा के आलोक में मौजा- धनवार/214 के भौतिक पंजी- ॥ के भाग सं०- 1 पृष्ठ सं०- 387 में कायम जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाइन पंजी- ॥ में जमाबंदी कायम करने के निमित्त आम इस्तेहार निर्गत कर आपत्ति की मांग की गई। निर्धारित तिथि तक किसी के द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है। जाँच प्रतिवेदन, उपलब्ध राजस्व अभिलेख तथा आम इस्तेहार के उपरान्त कोई आपत्ति अप्राप्त रहने की स्थिति में अंचल धनवार अन्तर्गत मौजा- धनवार/214 के भौतिक पंजी- ॥ के भाग सं०- 1 पृष्ठ सं०- 387 में कायम जमाबंदी के अनुरूप ऑनलाइन पंजी- ॥ में उक्त जमाबंदी को कायम करने का आदेश दिया जाता है। लेखापित एव सशोधित।  अंचल अधिकारी, धनवार।  अंचल अधिकारी, धनवार।	